न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 139/2019

अनवान :

राकेश कुमार पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

– **वादी**

बनाम

1. राजपाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. रमेश पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. बैक एस.बी.आई शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचंद वर्मा : वादी
वकील श्री अक्षय कुमार वर्मा :प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक :** 05.08.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव भिरानी की जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 191/184 के मु.न. 93 के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, मु.न. 110 के किला नं. 1 ता 9 किला नं. 13 ता 17 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, किला नं. 18 की 0.253 हैक्टर मय गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 23 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, मु.न. 111 के किला नं. 4 ता 6 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर कुल 6.578 हैक्टर, बारानी 6.565 हैक्टर, गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से खातेदारी दर्ज है और गांव भिरानी की ही जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 352/334 के मु.न. 80 के किला नं. 21 ता 24 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, किला नं. 25 की 0.253 हैक्टर मय गै.मु.रास्ता 0.012 हैक्टर, मु.न. 88 के किला नं. 1 ता 4 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, किला नं. 5 व 6 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर मय प्रत्येक किला में गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 7 ता 14 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, किला नं. 15 की 0.253 हैक्टर मय गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर, मु.न. 89 के किला नं. 11 की 0.253 हैक्टर, कुल 5.313 हैक्टर बारानी गै.मु.रास्ता 0.051 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। यही बिनाय दावा है। जमाबंदीयात संलग्न अर्जीदावा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जददी जायदाद है जो वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 राजपाल को वादी के दादा रामचन्द्र से विरासतन प्राप्त हुई जो गांव भिरानी की जमाबंदी सम्वत 2058–61 के खाता नं. 70 व से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जो प्रतिवादी सं. 1 राजपाल के नाम दर्ज भूमि में वादी सं. 1 व 2 बहिस्सा बराबर कानूनन बनता है। इस प्रकार गांव भिरानी के खाता संख्या 191/184 की कुल 6.578 हैक्टर, बारानी 6.565 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.013 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/6 हक हिस्सा और गांव भिरानी के खाता संख्या 352/334 की कुल 5.313 हैक्टर, बारानी 5.262 हैक्टर,

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

गै.मु.रास्ता 0.051 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा हक व हिस्सा है। नकल जमाबंदीयात संलग्न अर्जीदावा है। यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने अपना राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी राकेश कुमार पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भिरानी प्रदर्श 1, जमाबंदी भिरानी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 352/334 प्रदर्श 2, जमाबंदी भिरानी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 191/184 प्रदर्श 3, खतौनी जमाबंदी भूमि एकीकरण ग्राम भिरानी सम्वत 2058–61 खाता संख्या 70 प्रदर्श 4, खतौनी बन्दोबस्त खाता संख्या 297 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने गांव भिरानी के खाता संख्या 191/184 की कुल 6.578 हैक्टर, बारानी 6.565 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.013 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/6 हक हिस्सा और गांव भिरानी के खाता संख्या 352/334 की कुल 5.313 हैक्टर, बारानी 5.262 हैक्टर, गै.मु.रास्ता 0.051 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा भूमि अनुसार अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि होना व वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी भिरानी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 352/334 प्रदर्श 2, जमाबंदी भिरानी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 191/184 प्रदर्श 3, खतौनी जमाबंदी भूमि एकीकरण ग्राम भिरानी सम्वत 2058–61 खाता संख्या 70 प्रदर्श 4, खतौनी बन्दोबस्त खाता संख्या 297 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये है। इस प्रकार वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने भी अपने राजीनामा के अनुसार वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष से सहमत है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजात के आधार पर वाद वादीगण साबित होना पाया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव भिरानी की जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 191/184 के मु.न. 93 के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, मु.न. 110 के किला नं. 1 ता 9 किला नं. 13 ता 17 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, किला नं. 18 की 0.253 हैक्टर मय गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 23 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, मु.न. 111 के किला नं. 4 ता 6 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर कुल 6.578 हैक्टर, बारानी 6.565 हैक्टर, गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

सं.1 राजपाल की बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक को 1/6–1/6 बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार और गांव भिरानी की ही जमाबंदी संम्वत 2074–77 के खाता संख्या 352/334 के मु.न. 80 के किला नं. 21 ता 24 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, किला नं. 25 की 0.253 हैक्टर मय गै.मु.रास्ता 0.012 हैक्टर, मु.न. 88 के किला नं. 1 ता 4 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, किला नं. 5 व 6 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर मय प्रत्येक किला में गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 7 ता 14 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, किला नं. 15 की 0.253 हैक्टर मय गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर, मु.न. 89 के किला नं. 11 की 0.253 हैक्टर, कुल 5.313 हैक्टर बारानी गै.मु.रास्ता 0.0151 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी सं01 राजपाल के बजाय वादी और प्रतिवादीगण 1 व 2 प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.8.19
(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 139/2019
अनवान :

राकेश कुमार पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

– वादी

बनाम

1. राजपाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. रमेश पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. बैक एस.बी.आई. शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण अक्षय कुमार वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वाद वादी मुताबिक राजीनामा साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव भिरानी की जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 191/184 के मु.न. 93 के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, मु.न. 110 के किला नं. 1 ता 9 किला नं. 13 ता 17 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, किला नं. 18 की 0.253 हैक्टर मय गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 23 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, मु.न. 111 के किला नं. 4 ता 6 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर कुल 6.578 हैक्टर, बारानी 6.565 हैक्टर, गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में प्रतिवादी सं.1राजपाल की बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक को 1/6–1/6 बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार और गांव भिरानी की ही जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 352/334 के मु.न. 80 के किला नं. 21 ता 24 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, किला नं. 25 की 0.253 हैक्टर मय गै.मु.रास्ता 0.012 हैक्टर, मु.न. 88 के किला नं. 1 ता 4 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, किला नं. 5 व 6 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर मय प्रत्येक किला में गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 7 ता 14 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, किला नं. 15 की 0.253 हैक्टर मय गै.मु. रास्ता 0.013 हैक्टर, मु.न. 89 के किला नं. 11 की 0.253 हैक्टर, कुल 5.313 हैक्टर बारानी गै.मु.रास्ता 0.0●51 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी सं01 राजपाल के बजाय वादी और प्रतिवादीगण 1 व 2 प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्सा बहिस्सा बराबर कें खातेदार काश्तकार है। कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

5.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा
RAS

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़